

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

पत्रांक 38/317

पटना, दिनांक 10.12.18

सं० सं०-05/उ० नि० ब० (आवंटन) 16/2018

प्रेषक,

पंकज कुमार सिंह,
उद्योग निदेशक, बिहार।

सेवा में,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव,
वाणिज्य कर विभाग, बिहार, पटना।

विषय :- मुख्य शीर्ष-2852-उद्योग, उपमुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघुशीर्ष-102-औद्योगिक उत्पादकता, मांग संख्या-23, उपशीर्ष 0160-प्री-प्रोडक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड 23-2852801020160, विषय शीर्ष 0160.33.01 सब्सिडी मद से वित्तीय वर्ष 2018-19 में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 एवं, औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के अन्तर्गत वैट/प्रवेश कर एवं जी०एस०टी० की प्रतिपूर्ति हेतु कुल रू० 10000.00 लाख (एक सौ करोड़) मात्र के व्यय एवं निकासी की स्वीकृति के आलोक में आवंटन।

महाशय,


उक्त बजट शीर्ष के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 एवं, औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के अन्तर्गत वैट/प्रवेश कर एवं जी०एस०टी० की प्रतिपूर्ति हेतु कुल रू० 10000.00 लाख (एक सौ करोड़) मात्र का आवंटन स्वीकृत किया जाता है।

- 2 इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में मुख्य शीर्ष-2852-उद्योग, उपमुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघुशीर्ष-102-औद्योगिक उत्पादकता, मांग संख्या-23, उपशीर्ष 0160-प्री-प्रोडक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड 23-2852801020160, विषय शीर्ष 0160.33.01 सब्सिडी मद के अन्तर्गत विकलित होगा।
- 3 यह आवंटन वित्तीय वर्ष 2018-19 के स्वीकृत्यादेश सं० 4402 दिनांक 07.12.18 के आलोक में दिया जा रहा है। इसके सभी निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- 4 राशि की निकासी वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561 वि०(2) दिनांक 17 अप्रैल, 1998 के आलोक में ही की जाय तथा उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- 5 राशि की निकासी करते समय निम्नांकित बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखा जाय :-
(क) योजना की स्वीकृति के आधार पर तथा वित्त विभाग के उक्त परिपत्र में निर्धारित अधिसीमा तक ही व्यय किया जाय।
(ख) एक इकाई की राशि दूसरी इकाई में व्यय नहीं की जाय।
(ग) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्त नियमावली के भाग-1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें, ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में प्रावधानित राशि से अधिक व्यय नहीं होने पाए।
(घ) व्यय प्रतिवेदन व्यय के तुरंत बाद टी० भी० नं०/बिल नं० के साथ अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।
(च) 2018-19 का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन 15 मार्च 2019 तक अवश्य भेज दें।

कृ०पृ०उ०

(छ) मुख्य बजट शीर्ष-2852-उद्योग, उपमुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघुशीर्ष-102-औद्योगिक उत्पादकता, मांग संख्या-23, उपशीर्ष 0160-प्री-प्रोडक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड 23-2852801020160, विषय शीर्ष 0160.33.01 सब्सिडी मद से वित्तीय वर्ष 2018-19 में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 एवं, औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के अन्तर्गत वैट/प्रवेश कर एवं जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति हेतु कुल रू0 10000.00 लाख (एक सौ करोड़) रूपये मात्र के आवंटन के आलोक में उक्त स्वीकृत्यादेश/राज्यादेश में निहित निदेश के अनुरूप व्यय किया जाए।

विश्वासभाजन




उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 38/3116

पटना, दिनांक 10/12/18

प्रतिलिपि :- सभी कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 38/3116

पटना, दिनांक 10/12/18

प्रतिलिपि :- योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी जिलों के वाणिज्यकर अंचल प्रभारी, वाणिज्यकर विभाग/महाप्रबंधक, सभी जिला उद्योग केन्द्र, बिहार/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम/निदेशक, तकनीकी विकास, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/श्री सुरेश कुमार, उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-05 एवं 02, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक(योजना), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु तथा आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।